न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
45 / 2022

तारीख फैसला
13.08.2022

उनवान

1– राजेन्द्र प्रसाद आत्मज जगन्नाथ जी जाति नागर धाकड निवासी चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री ओ0पी0सोनी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद में वादी के खाते में खाता नं0 213 पर खसरा नम्बर 1082 की 0.73 हेक्टर व खसरा नम्बर 59 की 0.67 हेक्टर , कुल दो किता की 1.40 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार अंकित है जो गलत है। वादी का वास्तविक नाम राजेन्द्र प्रसाद है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज होने के कारण वादी को भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पडेगा।

यह कि वादी के आधार कार्ड, परिवार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि में वादी का नाम राजेन्द्र प्रसाद अंकित है। इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद दर्ज किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद में वादी के खाते में खाता नं0 213 पर खसरा नम्बर 1082 की 0.73 हेक्टर व खसरा नम्बर 59 की 0.67 हेक्टर , कुल दो किता की 1.40 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार जाकर ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद में वादी के खाते में खाता नं0 213 पर खसरा नम्बर 1082 की 0.73 हेक्टर व खसरा नम्बर 59 की 0.67 हेक्टर , कुल दो किता की 1.40 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– राजेन्द्र प्रसाद आत्मज जगन्नाथ जी जाति नागर धाकड निवासी चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री ओ0पी0सोनी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 45/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र स्वीकार जाता है कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद में वादी के खाते में खाता नं0 213 पर खसरा नम्बर 1082 की 0.73 हेक्टर व खसरा नम्बर 59 की 0.67 हेक्टर , कुल दो किता की 1.40 हेक्टर भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद पुत्र जगन्नाथ दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.10.11 16:17:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner